राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—996 / 2024

संदीप कुमार

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुकेश कुमार जिंदल, हाल पदस्थापित सोईल कंजरवेसन ऑफिसर (एग्रीकल्चर), सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : डॉ. सौगत रॉय, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी ने इस अपील में अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण भू संरक्षण अधिकारी (कृषि), सवाईमाधोपुर से उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में भरतपुर में कार्य ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस अपील में अपनी बहस केवल इस हद तक रखी है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में सवाईमाधोपुर जिले में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सवाईमाधोपुर से भरतपुर हो जाने से अपीलार्थी को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाए कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर पदस्थापित किया जाए, जहां उसकी पत्नी राजकीय सेवा में पदस्थापित है।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
3. अपीलार्थी के उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी अपने पदस्थापन के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन अपने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष इस आदेश के पारित होने के 4 सप्ताह में प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश

दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उस पर गुणावगुण पर विचार कर 4 सप्ताह में आख्यात्मक आदेश पारित करेगें।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)